



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062022-236655
CG-DL-E-17062022-236655

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2642]
No. 2642]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2022/ज्येष्ठ 26, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2022/JYAISTHA 26, 1944

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 2775(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989(1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) 18 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1830(अ), तारीख, 13 अप्रैल, 2022 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध, और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात्, “द टाइम्स ऑफ इंडिया” (अंग्रेजी) और “दिव्य भास्कर” (गुजराती) में तारीख 24 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ था;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह धोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह धोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केंद्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	तालुका का नाम	गाम का नाम	नया सर्वेक्षण / ब्लॉक संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	हैक्टर में क्षेत्रफल	भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पालनपुर	सदरपुर	310	निजी	खेती	0.3783	पटेल लक्ष्मीचंद मोतीभाई पटेल योगेशभाई लक्ष्मीचंद, पटेल नवीनभाई लक्ष्मीचंद, पटेल जगदीशभाई लक्ष्मीचंद, पटेल रमेशभाई लक्ष्मीचंद
		सूरजपुरा	174 पी/1	निजी	खेती	0.0702	कैडवा शांताबेन नरसिंहभाई, कैडवा कांजीभाई नरसिंहभाई, कैडवा शांतिभाई नरसिंहभाई, कैडवा बाबूभाई नरसिंहभाई, कैडवा हीराबेन नरसिंहभाई
2			89/पैकी 1/पैकी 1	निजी	खेती	0.1254	करणावत कांजीभाई करशनभाई, पटेल (करणावत) दलसीबेन कांजीभाई, पटेल (करणावत) विजय कांजीभाई, पटेल (करणावत) मेघाबेन कांजीभाई, पटेल (करणावत) भारतीबेन कांजीभाई, पटेल करशनभाई चेलाभाई, पटेल मगनभाई बेचरभाई, कौशिक कुमार गिरीषभाई पटेल
			178	निजी	खेती	0.1505	पटेल रमाबेन भीमाभाई (विडो), पटेल रमेशभाई भीमाभाई, पटेल राजेशभाई भीमाभाई, पटेल परसोत्तमभाई भीमाभाई, पटेल कांतिभाई भीमाभाई, पटेल सविताबेन भीमाभाई, पटेल देविकाबेन भीमाभाई, पटेल अंजुबेन भीमाभाई
3		जगाणा	1157	निजी	खेती	0.0958	जुआ केशरभाई फताभाई, जुआ लालजीभाई केशरभाई

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2316]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 2775(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 1830(E), dated the 13th April, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub – section (ii), dated the 18th April, 2022 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Banaskantha in the State of Gujarat;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “The Times of India” (English) and “Divya Bhaskar” (Gujarati) dated the 24th April, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district Banaskantha for Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat.

Serial Number	Name of Taluka	Name of Village	New Survey / Block Number	Type of land	Nature of land	Area in Hectares	Name of land owners/ Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Palanpur	Sadarpur	310	Private	Agriculture	0.3783	Patel Laxmichand Motibhai Patel Yogeshbhai Laxmichand Patel Naveenbhai Laxmichand Patel Jagdishbhai Laxmichand Patel Rameshbhai Laxmichand.
2		Surajpura	174 p/1	Private	Agriculture	0.0702	Kaidwa Shantaben Narasinhbhai Kaidwa Kanjibhai Narasinhbhai Kaidwa Shantibhai Narasinhbhai Kaidwa Babubhai Narasinhbhai Kaidwa Hiraben Narasinhbhai.
			89/Paiki1/paiki1	Private	Agriculture	0.1254	Karanavat Kanjibhai Karashanbhai Patel (Karanavat) Dalsiben

							Kanjibhai Patel (Karanavat) Vijay Kanjibhai Patel (Karanavat) Meghaben Kanjibhai Patel (Karanavat) Bhartiben Kanjibhai Patel Karashanbhai Chelabhai Patel Maganbhai Becharbhai Kaushik Kumar Girishbhai Patel.
			178	Private	Agriculture	0.1505	Patel Ramaben Bhembhai (widow) Patel Rameshbhai Bhembhai Patel Rajeshbhai Bhembhai Patel Parsottambhai Bhembhai Patel Kantibhai Bhembhai Patel Savitaben Bhembhai Patel Devikaben Bhembhai Patel Anjuben Bhembhai.
3		Jagana	1157	Private	Agriculture	0.0958	Jua Kesharbhai Fatabhai Jua Laljibhai Kesharbhai.

[F. No. 2022/LML-II/12/1/WC/2316]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)